

एनएसडब्ल्यू लो इन्कम हाउसहोल्ड रिबेट



आवेदन फॉर्म: ऑन-सप्लाई घर

यह फॉर्म उन पात्र घरों के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए है जो ऑन-सप्लाई रेजीडेंशल कम्यूनिटीज़, रिटायरमेंट विलेजों और स्ट्रैटा स्कीमों के अंतर्गत आते हैं।

\$313.50



एनएसडब्ल्यू लो इन्कम हाउसहोल्ड रिबेट एनएसडब्ल्यू के पात्र घरों के लोगों की उनके बिजली के बिलों की राशि का भुगतान करने में मदद करता है।

ऑन-सप्लाई शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी घर के निवासियों को उनकी पसंद के बिजली के खुदरा विक्रेता के द्वारा जारी किए गए बिल की बजाय उनके रेजीडेंशल कम्यूनिटी, रिटायरमेंट विलेज या स्ट्रैटा स्कीम के मालिक/प्रबंधक के द्वारा या उनकी ओर से जारी किया गया बिजली का बिल प्राप्त होता है।

यदि आपको किसी खुदरा विक्रेता से बिजली का बिल मिलता है, तो कृपया अपने रिबेट के लिए आवेदन करने के लिए उससे संपर्क करें या www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-low-income-household-rebate-retail-customers पर ऑनलाइन आवेदन करें।

किसी घर के पात्र निवासियों की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक घर के लिए एक रिबेट का ही भुगतान किया जाएगा।

यदि आप पात्र हैं, तो आपको एनएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड एनवायरन्मेंट से एक मुश्त \$313.50 तक का रिबेट प्राप्त होगा, जो आपके बैंक-खाते में जमा कर दिया जाएगा।

आप www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-low-income-household-rebate-supply-customers पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं।

शुरू करने से पहले

इस आवेदन को भरने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित चीज़ें हैं:

आपका ग्राहक रेफरेंस नम्बर (सीआरएन- सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया) या आपका डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटरन्स' अफेयर्स (DVA) का नम्बर

आपका व्यक्तिगत विवरण और संपर्क विवरण

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए आपके बैंक-खाते का विवरण

आपके एनर्जी के सबसे नए बिल की एक प्रति (PDF के रूप में या बिल की स्पष्ट फोटो स्वीकार की जाती हैं)। (बिल संबंधी ज़रूरतों के बारे में अधिक विवरण के लिए पृष्ठ 2 पर दिए गए 'महत्वपूर्ण जानकारी' वाले अनुभाग को देखें)।

जाँचसूची

पात्रता के मापदंड

इस रिबेट का पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

वर्तमान में आप एनएसडब्ल्यू में रह रहे हैं

आप एक ऑन-सप्लाई करने की पात्र रेजीडेंशल कम्यूनिटी (जो एनएसडब्ल्यू फेयर ट्रेडिंग के साथ पंजीकृत हो) या रिटायरमेंट विलेज (जो एनएसडब्ल्यू फेयर ट्रेडिंग के साथ पंजीकृत हो) या स्ट्रैटा स्कीम (जो एनएसडब्ल्यू लैंड रजिस्ट्री सर्विसेज़ के साथ पंजीकृत हो) के निवासी हैं

आपके पास (सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया/DVA द्वारा दिया गया पेंशनर कन्सेशन कार्ड है, सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया हेल्थ केयर कार्ड है; या DVA गोल्ड कार्ड है जिस पर वॉर विडो या वॉर विडोअर, पूरी तरह और स्थायी रूप से अशक्त, या विकलांगता पेंशन लिखा हो; और

आपके मुख्य निवास स्थान पर बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली का खाता आपके नाम पर होना चाहिए।

कॉमनवेल्थ सीनियर्स हेल्थ कार्ड (CSHC) धारक इस रिबेट को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। यदि आपके पास सीएसएचसी (CSHC) है तो आप इसकी बजाय सीनियर्स एनर्जी रिबेट के लिए <https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-seniors-energy-rebate> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म: ऑन-सप्लाई घर

महत्वपूर्ण जानकारी

इस रिबेट का भुगतान एक घर में, एक ही पात्र आवेदक को, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार किया जाता है।

डिपार्टमेंट द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि के अनुसार आवेदनों को संसाधित किया जाएगा। रिबेट का दावा करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक नया आवेदन और बिल जमा करना होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। **किसी वित्तीय वर्ष के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आपका आवेदन उस वर्ष की 30 जून तक प्राप्त होना जाना चाहिए।**

यदि आप इस आवेदन को पॉवर ऑफ़ एटोर्नी के अंतर्गत जमा कर रहे हैं तो आपको इस आवेदन के साथ पॉवर ऑफ़ एटोर्नी की एक प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

आपको, अपने पात्र रेजिडेंशियल कम्युनिटी, रिटायरमेंट विलेज या स्ट्रेटा स्कीम के द्वारा जारी किए गए बिजली के बिल की या उनकी ओर से जारी किए गए बिजली के बिल की एक प्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आपके बिल में कम्युनिटी या ऑन-सप्लाई करने वाले का संपर्क का विवरण, आपका नाम और पता और साइट/यूनिट का नंबर शामिल होना चाहिए और इस बात की पुष्टि की गई होनी चाहिए कि आपको मीटर से बिजली मिलती है। मीटर रीडिंग या प्रयोग की गई बिजली की मात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 जुलाई के बाद की होनी चाहिए और 3 महीने से कम पुरानी होनी चाहिए। आपका बिल प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं।

अधिक जानकारी

सर्विस एनएसडब्ल्यू की वेबसाइट www.service.nsw.gov.au/services/concessions-rebates-and-assistance पर जाएं या

एनर्जी एनएसडब्ल्यू की एनर्जी रिबेट्स टीम को 02 8073 9255 पर फ़ोन करें

गोपनीयता का नोटिस

डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट (डिपार्टमेंट) 4 Parramatta Square, 12 Darcy Street, Parramatta NSW 2150 में स्थित है और हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन *प्राइवैसी एंड पर्सनल इन्फ़ोर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1998* के अंतर्गत करते हैं।

डिपार्टमेंट आपकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर रहा है ताकि वह एनर्जी में रिबेट के लिए आपके आवेदन को संसाधित कर सके, (इसमें आपकी पात्रता का निर्धारण करना शामिल है), यदि आप पात्र हैं तो आपको रिबेट का भुगतान कर सके, एनर्जी पर रिबेट की योजना को लागू कर सके और रिबेट कार्यक्रम को ऑडिट कर सके, इसमें ग्राहक के अनुभवों की जानकारी का सर्वेक्षण करना शामिल हो सकता है।

इस फॉर्म को पूरा करने में आप किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले कि आप डिपार्टमेंट को यह जानकारी प्रदान करें, आपको उस व्यक्ति की जानकारी डिपार्टमेंट को देने और इस गोपनीयता के नोटिस के अनुसार डिपार्टमेंट द्वारा इसका प्रयोग किए जाने के लिए उस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी।

यह निर्धारित करने के लिए कि आप रिबेट के पात्र हैं या नहीं, डिपार्टमेंट आपका CRN या DVA नंबर सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया को देगा। डिपार्टमेंट रिबेट का ऑडिट करने में लगे किसी तीसरे पक्ष को भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी दे सकता है। डिपार्टमेंट आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी और को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे कानून द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

इस रिबेट के लिए आवेदन करना स्वैच्छिक है। लेकिन, यदि आप आवेदन करते हैं तो, जब तक कि कोई अन्य टिप्पणी न लिखी हो, आपके आवेदन को संसाधित करने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा आपसे माँगी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी आपको डिपार्टमेंट को देनी होगी।

डिपार्टमेंट के पास आपके बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी है, आपको उसे प्राप्त करने का अधिकार है। आपको इस बात का अनुरोध करने का भी अधिकार है कि डिपार्टमेंट उस जानकारी को नवीनतम या संशोधित करे। अधिक जानकारी के लिए rebates@energysaver.nsw.gov.au पर ईमेल भेजें।

एनएसडब्ल्यू लो इन्कम हाउसहोल्ड रिबेट



आवेदन फॉर्म: ऑन-सप्लाई घर

इस फॉर्म को भरना

- कृपया फॉर्म को अंग्रेजी में भरें और बड़े अक्षरों (CAPITAL letters) का प्रयोग करें।
- आवेदक का नाम आपके बिजली के बिल पर छपे हुए नाम से मिलना चाहिए।
- आवेदन में दिया गया पता, आवेदक का मुख्य निवास स्थान होना चाहिए।
- बैंक का खाता जिसमें भुगतान किया जाएगा, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए।

आवेदक का विवरण

सीआरएन-CRN (सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया):

DVA संख्या:

नाम का पहला शब्द:

कुलनाम:

कम्यूनिटी/विलेज का नाम या स्ट्रेटा प्लान का नम्बर:

साइट/यूनिट का नम्बर:

गली का पता:

सबर्ब:

पोस्टकोड:

संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर:

ईमेल का पता:

डाक का पता (यदि गली के पते से भिन्न है):

सबर्ब:

पोस्टकोड:

आवेदक के बैंक का विवरण

बैंक का नाम:

खाते में दिया गया नाम (जैसे Mr S Smith):

बीएसबी नंबर:

खाता संख्या:

यदि आप रिबेट के पात्र हैं, तो डिपार्टमेंट आपके नामित खाते में रिबेट की राशि का भुगतान करेगा।

आवेदन फॉर्म: ऑन-सप्लाई घर

किसी व्यक्ति के लिए आपकी ओर से कार्य करने की सहमति (वैकल्पिक)

इस अनुभाग को सिर्फ तभी भरें यदि आप चाहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति इस आवेदन के संबंध में आपकी ओर से कार्रवाई कर सके।

मैं,

को अधिकृत करता हूँ जिससे निम्नलिखित बातों के लिए

फोन से

पर संपर्क किया जा सकता है:

- इस आवेदन को संसाधित करने में सहायता करने के लिए वह मेरी ओर से डिपार्टमेंट से बात कर सके
- इस आवेदन को संसाधित करने में सहायता करने के लिए इस फॉर्म में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को स्पष्ट करके बता सके।

मैंने उपरोक्त नामित व्यक्ति से इस बात की पुष्टि कर ली है कि वह मेरी ओर से कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं और मैंने उन्हें बता दिया है कि उनकी जानकारी को इस फॉर्म में दिए गए गोपनीयता के नोटिस के अनुसार एकत्र किया जाएगा और उसका प्रबंधन किया जाएगा।

मैं समझता/समझती हूँ कि मैं एनर्जी रिबेट टीम से 02 8073 9255 पर या rebates@energysaver.nsw.gov.au पर संपर्क करके किसी भी समय अपनी इस सहमति को वापस ले सकता/सकती हूँ।

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा और अधिकार देने के बारे में वक्तव्य

मैं (नाम लिखें),

(निवास के प्रमुख स्थान

का पता लिखें) का/की निवासी

:

- मैंने इस आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी, जिसमें जाँचसूची और गोपनीयता का नोटिस शामिल हैं, पढ़ और समझ ली है
- घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी, मेरे ज्ञान के अनुसार, सत्य और सही है
- समझता/समझती हूँ कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में डिपार्टमेंट को सूचित करना मेरी ज़िम्मेदारी है
- मेरी पात्रता निर्धारित करने के लिए यदि अतिरिक्त जानकारी माँगी जाती है तो मैं उस जानकारी को प्रदान करने के लिए सहमत हूँ
- मैं समझता/समझती हूँ कि यह आवेदन जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है, हस्ताक्षर किए जाने के बाद उस पूरे वर्ष के लिए वैध रहेगा, जब तक कि मैं डिपार्टमेंट से संपर्क करके इसे रद्द नहीं कर देता/देती।
- इस आवेदन के साथ मैंने अपने एनर्जी के नवीनतम बिल की एक प्रति शामिल की है
- मैं समझता/समझती हूँ कि डिपार्टमेंट सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया में पूछताछ करने के लिए सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया की इ-सर्विसेज़ (eServices) का इस्तेमाल करेगा और सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया में मेरे ग्राहक विवरण और कन्सेशन कार्ड की स्थिति की जाँच करेगा, जिससे डिपार्टमेंट यह निर्धारित कर सके कि मैं रिबेट पाने के लिए पात्र हूँ या नहीं।

संपर्क करने के लिए सहमति (वैकल्पिक)

मेरी सहमति है कि रिबेट के लिए आवेदन करने के मेरे अनुभव के बारे में जानने के लिए डिपार्टमेंट मुझसे संपर्क कर सकता है।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी (जब आवेदन पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं)

मैंने इस आवेदन के साथ पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

आवेदक के हस्ताक्षर:

दिनांक:

इस फॉर्म को जमा करना

भरे हुए फॉर्म को rebates@energysaver.nsw.gov.au पर ईमेल से भेजें या

भरे हुए फॉर्म को NSW Low Income Household Rebate, PO Box 435, Parramatta NSW 2124 -पर डाक से भेजें। यदि आप फॉर्म को डाक से भेज रहे हैं, तो दस्तावेज़ों पर स्टेपल पिन या स्टिकी टेप न लगाएँ।